

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 29969/2025**

वरकूनयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रभाकर सिंह**प्रतिवादी के अधिवक्ता: सरकारी अधिवक्ता****न्यायालय संख्या - 45****माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता****माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:
"(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.12.2024, जो कि केस अपराध संख्या 258/2024, धारा 85, 80(2), 352 बी.एन.एस. और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, थाना- हथगाँव, जिला- फतेहपुर के रूप में पंजीकृत है, के अनुसरण में प्रतिवादियों को मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने और जांच के दौरान नामित प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।
(ii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।
(v) याचिकाकर्ता को रिट याचिका का खर्च प्रदान करें।"



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता इस मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि इस मामले में एफआईआर 30.12.2024 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से मामले की जांच नहीं कर रही है।
4. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, और यदि ऐसा आवेदन पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर/प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित जांच सुनिश्चित करेंगे।
5. उपरोक्त अवलोकन के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 23, 2026

के.यू.